



कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

– II प्रारंभिक अधिसूचना II –

क्रमांक / 10467 / भू-अर्जन / 2026

कोरबा, दिनांक 07/09/2026

क्रमांक 202503052900003 / अ-82 / 2024-25 – चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह. नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोरबा	पाली	जरमौहा / 5	53/1	0.024	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोरबा	गुंजननाला व्यपवर्तन योजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण कार्य
			63	0.012		
			53/2	0.036		
			64/4, 66/4	0.004		
			64/5, 66/5	0.028		
			64/6, 66/6	0.008		
			53/3	0.041		
			64/11, 66/11	0.036		
			64/8, 66/8	0.020		
			64/10, 66/10	0.008		
			64/9, 66/9	0.012		
			64/7, 66/7	0.020		
			55/2	0.020		
			55/3	0.032		
			56/1	0.053		
			56/2	0.032		
			81	0.069		
			67	0.008		
			80	0.012		
			68	0.008		
			61/1	0.032		
			62	0.057		
			66/12	0.012		
योग:-			कुल खसरा नंबर 23	0.584	—	—

2. यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली जिला कोरबा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली
जिला- कोरबा (छ.ग.)

(कुणाल बुद्धावत)
कलेक्टर

एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग